न्यायालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी श्री रमेश देव आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या 147/2022
प्रार्थना पत्र अ. धारा 136 राज. लैण्ड रेवन्यू एक्ट

हुसैन मोहम्मद पुत्र श्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

——प्रार्थी

बनाम

1 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया जिला हनुमानगढ।

——अप्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित :—

अधिवक्ता श्री हरविन्द्र कुमार गर्ग – प्रार्थी

दिनांक :— 12/5/2023

निर्णय

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी के नाम के नाम से चक 26 एएमपी के खाता संख्या 112/55 ज.स. 2073—2076 तथा इसी चक के खाता संख्या 36256 एवं इसी चक के 82/80 तथा चक 24 एएमपी के खाता संख्या 31/17 ज. स. 2071—2074 में कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी के चलन में 2 नाम हुसैन खां व हुसैन मोहम्मद हैं प्रार्थी के दस्तावेज आधार कार्ड, राशनकार्ड, पैन कार्ड व अन्य दस्तावेजों में नाम हुसैन मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद हैं इसी प्रकार खाता संख्या 112/55 व खाता संख्या 36/56 में नाम हुसैन मोहम्मद हैं। लेकिन चक 26 एएमपी के खाता संख्या 82/80 में तथा चक 24 एएमपी के खाता संख्या 31/17 में प्रार्थी का नाम हुसैन मोहम्मद के स्थान पर हुसैन खां दर्ज हो गया है जो कि काबिल दूरूस्ती है। चक 24 एएमपी के खाता संख्या 31/17 व चक 26 एएमपी के खााता संख्या 82/80 में प्रार्थी का नाम हुसैन मोहम्मद के स्थान पर हुसैन खां दर्ज होने से प्रार्थी को फसल बैचान, बैक कार्य, कृषि विभाग , सिंचाई विभाग, व अन्य विभागों में जमाबन्दी के आधारपर कार्य करवाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पडता है। जिससे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार प्रभावित होते है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से कई बार निवेदन किया कि वह प्रार्थी का नाम चक 24 एएमपी के खाता संख्या 31/17 व चक 26 एएमपी के खााता संख्या 82/80 की जमाबन्दीयों से हुसैन खां पुत्र नूरमोहम्मद के स्थान हुसैन मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद कर देवे लेकिन अप्रार्थी ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। इसलिए प्रार्थी माननीय न्यायालय की शरण में आया है।

12/4/23

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 24 एएमपी के खाता संख्या 31/17 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 तथा चक 26 एएमपी के खााता संख्या 82/80 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में प्रार्थी का नाम हुसैन खां पुत्र नूरमोहम्मद के स्थान हुसैन मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद किया जाने का निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना–पत्र पेश होने पर तथा सीगेदार की रिपोर्ट होने के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए सम्मन तलब किया गया तथा उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रार्थी ने निम्न साक्ष्य प्रस्तुत किये चक 26 एएमपी जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 खाता संख्या 112/55 व खाता संख्या 36/56 व आधार कार्ड, राशनकार्ड, पैनकार्ड, की फोटो प्रतिया पेश की है। साथ ही तहसीलदार राजसव संगरिया ने अपने पत्रांक 2742 दिनांक 16.09.2022 से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की पुष्टि करते हुए दूरूस्ती किये जाने की अभिशंषा की है, जो शामिल मिसल है।

दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करने का निवेदन किया गया। बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों तथा तहसीलदार भू.अ. संगरिया से प्राप्त रिपोर्ट से प्रार्थना पत्र प्रार्थी पुर्णतः सिद्व पाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

उक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार संगरिया मय रिपोर्ट पटवारी हल्का के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि चक 24 एएमपी के खाता संख्या 31/17 जमबान्दी सम्वत 2071–74 तथा चक 26 एएमपी के खाता संख्या 82/80 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में हुसैन खां पुत्र नूरमोहम्मद को दूरूस्त कर हुसैन मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद अंकन किया जावे तथा इसी मुताबिक जमाबन्दी में दुरुस्ती की जावे। शेष प्रविष्टि/बैक का रहन यथवात रहेगा। पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.04.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/4/23

(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official